*संसद अधिकारी (पदस्थ मरने वाले लोकसभा-अध्यक्ष के पति या पत्नी के लिए पेंशन, आवास और चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, **2002**

भारत का राजपत्र : असाधारण [भाग II - खण्ड 3(1)]

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) - इस नियमों का संक्षिप्त नाम [संसद अधिकारी (पदस्थ मरने वाले लोकसभा-अध्यक्ष के पति या पत्नी के लिए पेंशन, आवासन और चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 2002] है।

(2) वे 3 मार्च, 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषा :- इन नियमों मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "चिकित्सीय परिचारक" से आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति से व्यवसाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है;

(ख) "चिकित्सीय देखभाल और उपचार" से चिकित्सीय परामर्श, चिकित्सालय आवास, दवाइयों की लागत, रोग लक्षणों संबंधी और विकृति संबंधी परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षा और शल्यक्रिया की अन्य पद्धतियां जिनकी पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष का पति या पत्नी और ऐसे अध्यक्ष के अवयस्क बालक अपेक्षा करें, अभिप्रेत है;

(ग) "निवास" से निम्नलिखित प्रकृति का कोई निवास स्थान अभिप्रेत है-

(i) टाइप VII बंगला ऐसे स्थान पर, जहां केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन आवास उपलब्ध है या यदि टाइप VII बंगला उपलब्ध नहीं है तो अगले उत्तम टाइप का आवास; या

(ii) ऐसी प्रकृति का निवास स्थान, जिसमें दो हजार वर्ग फीट से अधिक आवास क्षेत्र जहां है; ऐसे स्थान पर, जहां केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन आवास उपलब्ध नहीं है;

(घ) "पदस्थ मरने वाला अध्यक्ष" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी लोकसभा के अध्यक्ष का पद धारण करते हुए मृत्यु हो जाती है;

(ड.) "पति या पत्नी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष से वैध रूप से विवाहित है;

(च) "यात्रा व्यय" से निम्नलिखित अभिप्रेत,-

*स. क.म. अिधसूचना सं0 13(2)/2002 का. अ. ᳰदनांक 31.7.2002, भारत के राजप᭜ असधारण,

भाग-II, ख᭛ड-3(1) ᳰदनांक 31.7.2002 मᱶᮧकािशत।

(i) सरकारी िचᳰक᭜सा अिधकाᳯरय᭜ कᳱ दशा मᱶ, ऐसे या᭜ा भᱫे जोउ᭠हᱶ उनकᳱ सेवा के िनयम᭜ के अधीन अनु᭄ेय

हो; और

(ii)सरकारीिचᳰक᭜सा अिधकाᳯरय᭜ से िभ᳖ ᳞ि᭜य᭜ कᳱ दशा मᱶ, या᭜ा पर उपगत ऐसा ᳞य जोᳰकसी समूहीक

सरकारी 'क' सेवक को अनु᭄ेय अिधकतम रकम से अिधक न हो।

3. पᱶशन - लोकसभा सिचवालय पᱶशन संदाय आदेशजारी करेगा िजसमᱶ कुटुंब पᱶशन कᳱ रकम और अ᭠य सुिवधाएं िजनके िलए पित या प᳀ी औरअवय᭭क बालक हकदार ह᭜गे, सि᭥मिलत ह᭜गी।

4. आवासन - (1) संपदा िनदेशालय, शहरीिवकास मं᭜ालय, पित या प᳀ी के िलए, उसके शेष जीवन काल के िलए अनु᭄ि᳙ फᳱस केसंदाय िबना भारत मᱶᳰकसी ᭭थान पर, पित या प᳀ी के चुनाव पर, या तो के᭠᭔ीयसरकार के ᭭वािम᭜वाधीन या उसके ᳇ारा भाड़े पर िलए गए असुसि᭔त आवास कᳱ ᳞व᭭थाकरेगा।

(2) आवास के िलए िव᳒ुत और जल ᮧभार पित या प᳀ी ᳇ारा वहन ᳰकए जाएंगे।

5. िचᳰक᭜सीय देखभाल और उपचार - (1) पद᭭थमरने वाले अ᭟यᭃ का पित या प᳀ी अथवा अवय᭭क बालक या दोन᭜ अपने आवास पर, याभारत मᱶᳰकसी ि᭢लिनक, पᳯरचया᭭ गृह (न᳸सग होम) या वैसी ही ᮧकृित कᳱ सं᭭था या िचᳰक᭜सीय पᳯरचारक के परामश᭭ कᭃ मᱶ िचᳰक᭜सीय देखभाल और उपचार के हकदारह᭜गे।

(2) उपिनयम (1) मᱶ िनᳶद᳥ सेवा᭜ पर उपगत सभी ᳞य, पित या प᳀ी ᳇ाराᮧ᭥प-1 मᱶ एक ᮧमाण-प᭜ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने पर लोकसभा सिचवालय ᳇ारा वहन ᳰकएजाएंगे।

6. या᭜ा ᳞य - (1) पित या प᳀ी याअवंय᭭क बालक᭜ या पद᭭थ मरने वाले अ᭟यᭃ के पित या प᳀ी या अवय᭭क बालक᭜ यादोन᭜ कᳱ िचᳰक᭜सीय देखभाल या उपचार के संबंध मᱶᳰकसी िचᳰक᭜सा ᳞वसायी यािचᳰक᭜सा िवशेष᭄ या ᳰकसी िचᳰक᭜सीय पᳯरचारक ᳇ारा उपगत सभी या᭜ा ᳞य पित यापᳱ᳀ी ᳇ारा ᮧ᭥प-2 मᱶ उस आशय का ᮧमाणप᭜ᮧ᭭तुत ᳰकए जाने पर लोक सभासिचवालय ᳇ारा वहन ᳰकए जाएंगे।

(2) के᭠᭔ीय सरकार का ऐसा िचᳰक᭜सा अिधकारी, जो ऐसे अ᭟यᭃ के पित या प᳀ीअथवा अवय᭭क बालाक᭜ या दोन᭜ कᳱ देखभाल करने के िलए या᭜ा करता है, त᭜समय ᮧवृितनयम᭜ के अनुसार या᭜ा ᳞य᭜ का हकदार होगा और कोई

िच8क०सा अिधकारी जो रा३यसरकार का है, इस म े सीधे लोकसभा सिचवालय से ॄितपूञ्त का दावा कर सकेगा।

(7) िनवॅचन और क6ठनाई का िनराकरण- य8द इन िनयम के िनवॅचन के संबंध म७ कोई ॄ८उ०पॖ होता है या

इन

िनयम केउपबंधो के अनुपालन म७ कोई क6ठनाई उ०पॖ होती है, तो उसे के३ीय सरकार कोिनद९िशत 8कया जाएगा,

िजसका िविन य अंितम होगा।

ॄ१प-1

[िनयम 5(2) देिखए]

ॄमािणत 8कया जाता है 8क िनकालीगई......................१0

(.................१पए) क६ रकम,

ओी/ओीमती......................................., के जो ःवग٤य

ओी........................ भूतपूवॅ लोकसभा अ०यिॆ,

िजनक६..............................को पदःथ मृ०यु हो गई थी, िच8क०साउपचार/देखभाल/परामशॅ

के संबंध म७ य क६ गई है।

हःताॆर..........................

पदनाम............................

तारीख............................

थान..............................

ॄ१प-2

[िनयम 6(1) देिखए]

ॄमािणत8कया जाता है 8क ओी/ओीमती................................जो ःवग٤य

ओी/ओीमती...................... भूतपूवॅ लोकसभा अ०यिॆ, िजनक६ अ/यॆ के१प म७ पदःथ रहते समय मृ०यु हो गई

थी, के पित/क६ प%ी है, ॎारा िनकाली गई १पए

(अंको म७ रकम का उ,लेख

कर७) (....................................... ....

.........................१पए) (श/द म७

रकम का उ,लेख कर७)क६रकम उसके पित/उसक६ प%ी या उनके अवयःक बालक या 8कसी िच8क०सा

वसायी यािच8क०सा िवशेषळ या िच8क०सीय प6रचारक ॎारा, पित या प%ी या उनके अवयःक बालकक६

िच8क०सीय देखभाल या उपचार के संबंध म७ या ा य के १प म७ उपगत क६ गईहै।

हस्ताक्षर..........................

पदनाम............................
तारीख............................
थान..............................

[फा.सं. 13(2)/2002-डब्ल्यू एस]

डा. एम.रहमान, सचिव